# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086


क्रमांक/बैठक/2024/44 दिनांकः– 6 FEB 2024

## बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2022 के प्रस्ताव संख्या 17 में लिये गये निर्णय एंव उक्त निर्णय का प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा किये गये अनुमोदन की पालना में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–21/स्थापना/2022 /4226–4232 दिनांक 7 नवम्बर 2022 द्वारा गठित भूमि एंव सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति, की अध्यक्षता में दिनांक 05 फरवरी 2024 को प्राधिकरण कार्यालय में दोपहर 12.00 बजे अयोजित की गई। उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट–1 पर सलंग्न है।

प्रस्ताव संख्या 01 :: राजस्व ग्राम कालीजाल खसरा संख्या 10 में रकबा 5 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्याालय भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

| क.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | राजस्व ग्राम कालीजाल खसरा संख्या 10 में रकबा 5 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्। |

प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 व महंगाई राहत केम्प 2023 में भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम कालीजाल के खसरा संख्या 10 रकबा 5 बीघा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका–स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कालीजाल के खसरा संख्या 10 रकबा 16.1793 हैक्टयर किस्म गै.मु. ओरण राजस्व रैकर्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज है। वर्तमान में मौके पर विद्यालय संचालित है। प्राधिकण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। मास्टर प्लान–2031 रिपोर्ट डीसीआर अनुसार 24 मीटर व अधिक मार्ग पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन अनुज्ञेय हैं। आवेदित भूमि के सामने वी.आर. श्रेणी की सड़क होने की स्थिति में न्युनतम 100 फीट मार्गाधिकर रखा जाना उचित होगा।

प्रकरण में विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन केस मेनेजमेंट सिस्टम के अनुसार माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) संख्या 2, जोधपुर में वाद मंग सिंह बनाम् जे.डी.ए लंबित हैं। प्रकरण अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट लिया जाना शेष है।

अतः ग्राम कालीजाल के खसरा संख्या 10 में रकबा 5 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एंव उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।



Scanned with OKEN Scanner

## निर्णय

प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 व महंगाई राहत केम्प 2023 में भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम कालीजाल के खसरा संख्या 10 रकबा 5 बीघा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|---|---|---|
| 01. | उपरोक्त प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटित नही की जा सकती है। अतः प्रकरण निरस्त किया जावे। | उपायुक्त जोन –3 |

**प्रस्ताव संख्या 02 :: राजस्व ग्राम कालीजाल खसरा संख्या 10 में रकबा 1 बीघा भूमि पटवार भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।**

| क. स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | राजस्व ग्राम कालीजाल खसरा संख्या 10 में रकबा 1 बीघा भूमि पटवार भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्। |

प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 व महंगाई राहत केम्प 2023 में भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम कालीजाल के खसरा संख्या 10 रकबा 1 बीघा पटवार भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका–स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कालीजाल के खसरा संख्या 10 रकबा 16.1793 हैक्टयर किस्म गै.मु. ओरण राजस्व रैकर्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। ग्रामीण क्षेत्र भू–उपयोग की डी.सी.आर अनुसार Public utilities अनुज्ञेय हैं। Public and Semi Public utilities मे पटवार भवन अथवा सरकारी/राजकीय भवन का उल्लेख नहीं हैं।

प्रकरण में विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन केस मेनेजमेंट सिस्टम के अनुसार माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) संख्या 2, जोधपुर में वाद मंग सिंह बनाम् जे.डी.ए लंबित हैं। प्रकरण अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट लिया जाना शेष है।

अतः ग्राम कालीजाल के खसरा संख्या 10 में रकबा 1 बीघा भूमि पटवार भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एंव उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

## निर्णय

प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 व महंगाई राहत केम्प 2023 में भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम कालीजाल के खसरा संख्या 10 रकबा 1 बीघा पटवार भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।



Scanned with OKEN Scanner

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|---|---|---|
| 01. | उपरोक्त प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटित नही की जा सकती है। अतः प्रकरण निरस्त किया जावे। | उपायुक्त जोन –3 |

**प्रस्ताव संख्या 03 :: राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 12 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय हमीर नगर को विघालय भवन एंव खेल मैदान प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।**

| क.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 12 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय हमीर नगर को विघालय भवन एंव खेल मैदान प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्। |

प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 व महंगाई राहत केम्प 2023 में भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 12 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय हमीर नगर को विघालय भवन एंव खेल मैदान प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका–स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 रकबा 8.5441 हैक्टयर किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रैकर्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज है। आवंटन हेतु प्रस्तावित स्थल पर भूमि मौके पर रिक्त हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। मास्टर प्लान– 2031 रिपोर्ट डीसीआर अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की डी.सी.आर अनुसार 24 मी. व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय हैं।

प्रकरण में विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन केस मेनेजमेंट सिस्टम के अनुसार कोई वाद लम्बित नहीं है।

अतः राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 12 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय हमीर नगर को विघालय भवन एंव खेल मैदान प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एंव उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

## निर्णय

प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 व महंगाई राहत केम्प 2023 में भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 12 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय हमीर नगर को विघालय भवन एंव खेल मैदान प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।



Scanned with OKEN Scanner

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|---|---|---|
| 01. | राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीर नगर हेतु भूमि आवंटन नीति–2015 के तहत् 4000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित करते हुए शेष भूमि हेतु प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावें। | उपायुक्त जोन –3 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

**प्रस्ताव संख्या 04 :: राजस्व ग्राम बडलिया खसरा संख्या 63 में रकबा 1 बीघा भूमि राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।**

| क.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | राजस्व ग्राम बडलिया खसरा संख्या 63 में रकबा 1 बीघा भूमि राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्। |

प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 व महंगाई राहत केम्प 2023 में भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम बडलिया के खसरा संख्या 63 रकबा 1 बीघा भूमि राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका–स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडलिया के खसरा संख्या 63 रकबा 52.5352 हैक्टयर किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रैकर्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज है। आवेदित भूमि पर भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्र संचालित हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की भू–उपयोग रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) ग्रामीण एरिया में स्थित है। ग्रामीण क्षेत्र भू–उपयोग की डी.सी.आर अनुसार Public utilities अनुज्ञेय हैं। Public and Semi Public utilities में पंचायत भवन अथवा सरकारी/राजकीय भवन का उल्लेख नहीं हैं। आवेदित भूमि ग्रामीण श्रेणी की सडक पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार पूर्व में किए गए कमिटमेन्ट अनुसार अथवा न्यूनतम 100 फीट रखा जाना अपेक्षित हैं।

प्रकरण में विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन केस मेनेजमेंट सिस्टम में कोई वाद लंबित नहीं हैं। प्रकरण अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट लिया जाना शेष है।

अतः प्रकरण ग्राम बडलिया के खसरा संख्या 63 में रकबा 1 बीघा भूमि राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एंव उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।



Scanned with OKEN Scanner

## निर्णय

प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 व महंगाई राहत केम्प 2023 में भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम बडलिया के खसरा संख्या 63 रकबा 1 बीघा भूमि राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|---|---|---|
| 01. | राजस्व ग्राम बडलिया खसरा संख्या 63 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भवन हेतु भूमि आंवटन नीति–2015 के तहत् 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावें। | उपायुक्त जोन –3 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

**प्रस्ताव संख्या 05 :: राजस्व ग्राम निम्बाली खसरा संख्या 305 में रकबा 0.10 बीघा भूमि आंगनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।**

| क.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | राजस्व ग्राम निम्बाली खसरा संख्या 305 में रकबा 0.10 बीघा भूमि आगंनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्। |

प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 व महंगाई राहत केम्प 2023 में भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम निम्बाली के खसरा संख्या 305 रकबा 0.10 बीघा भूमि आगंनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका–स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम निम्बाली के खसरा संख्या 305 रकबा 21.985 हैक्टयर किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रैकर्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज है। आवंटन हेतु प्रस्तावित स्थल पर भूमि मौके पर रिक्त हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की भू–रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। मास्टर प्लान– 2031 की ग्रामीण क्षेत्र की डी.सी.आर अनुसार खेल मैदान 18 मी. व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय हैं। उक्त भूमि जोनल प्लान व मास्टर प्लान की किसी सड़क से प्रभावित नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र की डी.सी.आर. में उक्त भू–उपयोग के समकक्ष नर्सिंग व प्राइमेरी विघालय 18 मी. व अधिक सडक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय है। उपरोक्त आवेदित प्रकरण में नियमानुसार न्यूनतम पहुॅच मार्ग की सुनिश्चितता की जानी अपेक्षित है। आवेदित भूमि राजस्व मार्ग पर स्थित है। राजस्व मार्ग का मार्गाधिकार निर्धारण किया जाना अपेक्षित है।

प्रकरण में विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन केस मेनेजमेंट सिस्टम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जनहित याचिका डी.बी. सिविल रिट पीटीशन (पी.आई.एल.) संख्या 6111/2017 विचाराधीन हैं। प्रकरण अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट लिया जाना शेष है।



Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रकरण ग्राम निम्बाली के खसरा संख्या 305 किस्म गै.मु. गोचर में रकबा 0.10 बीघा भूमि आंगनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एंव उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

## निर्णय

प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 व महंगाई राहत केम्प 2023 में भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम निम्बाली के खसरा संख्या 305 रकबा 0.10 बीघा भूमि आगंनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|---|---|---|
| 01. | राजस्व ग्राम निम्बाली खसरा संख्या 305 में आगंनवाडी केन्द्र हेतु भूमि आंवटन नीति–2015 के तहत् 160 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवटित की जावें। | उपायुक्त जोन –3 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

**प्रस्ताव संख्या 06 :: राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान खसरा संख्या 83 मे से 3 बीघा भूमि रा.प्रा.वि धुलजी की ढाणी देसुरिया विश्नोईयान तहसील जोधपुर को निःशुल्क भूमि आवंटित करने बाबत।**

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1 | राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान खसरा संख्या 83 मे से 3 बीघा भूमि रा.प्रा.वि धुलजी की ढाणी देसुरिया विश्नोईयान तहसील जोधपुर को निःशुल्क भूमि आवंटित करने बाबत। | राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान खसरा संख्या 83 मे से 3 बीघा भूमि रा.प्रा.वि धुलजी की ढाणी देसुरिया विश्नोईयान तहसील जोधपुर को निःशुल्क भूमि आवंटन की अभिषांशा की जाती है। |

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारभिंक शिक्षा जोधपुर द्वारा प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत ग्राम देसुरिया विश्नोईयान तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 83 रकबा 413.15 मे से 3 बीघा राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु भूमि आवंटन की मांग की हैं।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम देसुरिया विश्नोईयान तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 83 रकबा 413.15 किस्म गै.मु. भाकर भूमि जेडीए के नाम दर्ज है तथा मौके पर विद्यालय हेतु भूमि खाली है। पहुँच मार्ग इसी खसरे मेसे मौके पर 30 फीट उपलब्ध हैं।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि एमडीपी/जेडडीपी अनुसार आवासीय उपयोग है। उक्त भूमि एमडीपी/जेडडीपी किसी भी सडक पर स्थित नही है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे पर कोई वाद–विवाद लम्बित नही है।



Scanned with OKEN Scanner

भूमि आवंटन नीति–2015 के संबंध राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.6.2021 दिशा निर्देश अनुसार राजकीय विभागों को आपत्ति सूचना की आवश्यकता नही है।

भूमि आवंटन नीति–2015 के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.6.2021 के बिन्दू संख्या 9.3 के अनुसार राजकीय विभागों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 3000 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन के अधिकार स्थानीय स्तर पर दिये गये है। इस प्रकार उक्त प्रकरण भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत अनुज्ञेय है।

अतः ग्राम देसुरिया विश्नोईयान तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 83 रकबा 413.15 मे से 3000 व.मी. रा.प्रा.वि धुलजी की ढाणी देसुरिया विश्नोईयान को भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

## निर्णय

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारभिंक शिक्षा जोधपुर द्वारा प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत ग्राम देसुरिया विश्नोईयान तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 83 रकबा 413.15 मे से 3 बीघा राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु भूमि आवंटन की मांग की हैं।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|---|---|---|
| 01. | राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान खसरा संख्या 83 मे रा.प्रा.वि धुलजी की ढाणी देसुरिया विश्नोईयान तहसील जोधपुर हेतु भूमि आंवटन नीति–2015 के तहत् 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावें। | उपायुक्त जोन –6 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

**प्रस्ताव संख्या 07 :: ग्राम हरियाणा के खसरा संख्या 442 में पशु चिकित्सा उप केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत्।**

| क्र. स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | ग्राम हरियाणा के खसरा संख्या 442 में पशु चिकित्सा उप केन्द्र हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है। |

संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम पंचायत हरियाणां के खसरा संख्या 442 में पशु चिकित्सा उप केन्द्र हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार पत्रावली में वर्णित स्थल पत्रावली राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम हरियाणा के खसरा संख्या 442 रकबा 8.4336 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर जो जोधुपर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है। पत्रावली में राजस्व पटवारी द्वारा प्रमाणित जमाबंदी मय राजस्व नक्शा संलग्न हैं।



Scanned with OKEN Scanner

आवेदित भूमि हेतु पहुँच मार्ग डामर सड़क उपलब्ध है। आवेदित भूमि मौके पर खाली हैं आवेदित भूमि पशु उपकेन्द्र हेतु प्रस्तावित हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्राधिकरण की राजस्व ग्राम हरियाणा के खसरा संख्या 442 में पशु चिकित्सालय उप केन्द्र हेतु भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्रम में लेख है कि प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान अनुसार ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की किसी भी प्रस्तावित सड़क से प्रभावित नहीं है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार व नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 अनुसार प्रस्तावित भूमि पर पशु चिकित्सा उप केन्द्र निर्माण अनुज्ञेय उपयोग है, अतः प्रकरण में प्रस्तावित भूमि तक न्यूनतम पहुँच मार्ग 60 फीट की सुनिश्चितता करते हुये भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावें।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार तहसील बालेसर के ग्राम हरियाणा के खसरा संख्या 442 पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं हैं।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार तहसील बालेसर में ग्राम हरियाणा के खसरा संख्या 442 के संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार पशु चिकित्सालय उप केन्द्र हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षैत्रफल 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

तहसील बालेसर के ग्राम हरियाणा के खसरा संख्या 442 किस्म गै.मु. गोचर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत् प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

## निर्णय

संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम पंचायत हरियाणा के खसरा संख्या 442 में पशु चिकित्सा उप केन्द्र हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की गई है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|---|---|---|
| 01. | ग्राम हरियाणा के खसरा संख्या 442 में पशु चिकित्सा उप केन्द्र हेतु भूमि आंवटन नीति–2015 के तहत् 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवटित की जावें। | उपायुक्त जोन –5 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

**प्रस्ताव संख्या 08 :: ग्राम भैंसेरकुतड़ी के खसरा संख्या 116/10 में उच्च जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।**

| क.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | ग्राम भैंसेरकुतड़ी के खसरा संख्या 116/10 में उच्च जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है। |



Scanned with OKEN Scanner

सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग उपखण्ड़ औसिया, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम भैंसरेकुतड़ी के खसरा संख्या 116/10 में उच्च जलाशय निर्माण हेतु 1619.57 व.मी. भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का मौका जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के सहायक अभियंता से दूरभाष पर बातचीत कर सरपंच महोदय के साथ देखा गया। मौके पर उच्च जलाशय एवं स्वच्छ जलाशय निर्मित हैं जो ग्राम भैंसेरकुतडी के खसरा संख्या 116/10 रकबा 81.5926 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा में स्थित हैं जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि हैं। उक्त भूमि तक पहुंच मार्ग खसरा सं. 116/10 प्राधिकरण की भूमि में से कच्चा मार्ग उपलब्ध हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्राधिकरण की राजस्व ग्राम भैंसरे कुतड़ी के खसरा संख्या 116/10 में उच्च जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्रम में लेख है कि प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान अनुसार ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की किसी भी प्रस्तावित सड़क से प्रभावित नहीं है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार व नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 अनुसार प्रस्तावित भूमि पर उच्च जलाशय निर्माण अनुज्ञेय उपयोग है, अतः प्रकरण में प्रस्तावित भूमि तक न्यूनतम पहुँच मार्ग 60 फीट की सुनिश्चितता करते हुये भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावें।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार तहसील ओसिया के राजस्व ग्राम भैंसेरकुतड़ी के खसरा संख्या 116/10 रकबा 1619.57 व.मी. भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं हैं।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार भैंसरेकुतड़ी के खसरा संख्या 116/10 में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार उच्च जलाशय निर्माण हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षैत्रफल 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

ग्राम भैंसेरकुतड़ी के खसरा संख्या 116/10 में किस्म गै.मु. मगरा में 1000 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाशय आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

## निर्णय

सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग उपखण्ड़ औसिया, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम भैंसरेकुतड़ी के खसरा संख्या 116/10 में उच्च जलाशय निर्माण हेतु 1619.57 व.मी. भूमि आवंटन की मांग की गई है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|---|---|---|
| 01. | ग्राम भैंसेरकुतड़ी के खसरा संख्या 116/10 में उच्च जलाशय निर्माण हेतु भूमि आंवटन नीति–2015 के तहत् 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवटित की जावें। | उपायुक्त जोन –5 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |



Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 09 :: ग्राम शिवनगर, बैरू के खसरा संख्या 1360 में उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

| क.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंशा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | ग्राम शिवनगर, बैरू के खसरा संख्या 1360 में उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है। |

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम शिवनगर, बैरू के खसरा संख्या 1360 गै.मु. मगरा में उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु 1.08 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का मौका देखा गया मौके पर भूमि रिक्त हैं प्रस्तावित भूमि ग्राम बेरू के खसरा संख्या 1360 रकबा 01–08 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा का स्वामित्व राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि हेतु पहुंच मार्ग डामर सड़क उपलब्ध हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्राधिकरण की राजस्व ग्राम शिवनगर, बैरू के खसरा संख्या 1360 में उपस्वास्थ्य केंद्र हेतु भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्रम में लेख है कि प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान अनुसार ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की किसी भी प्रस्तावित सड़क से प्रभावित नहीं है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार व नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 अनुसार प्रस्तावित भूमि पर उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण अनुज्ञेय उपयोग है, अतः प्रकरण में प्रस्तावित भूमि तक न्यूनतम पहुँच मार्ग 60 फीट की सुनिश्चितता करते हुये भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावें।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार तहसील जोधपुर के राजस्व ग्राम केरू के ग्राम शिवनगर के खसरा संख्या 1360 रकबा 1.08 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं हैं।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम केरू के ग्राम शिवनगर के खसरा संख्या 1360 के संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।
ग्राम शिवनगर, बैरू के खसरा संख्या 1360 किस्म गै.मु. मगरा में 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

## निर्णय

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम शिवनगर, बैरू के खसरा संख्या 1360 गै.मु. मगरा में उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु 1.08 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।



Scanned with OKEN Scanner

| क.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
| --- | --- | --- |
| 01. | ग्राम शिवनगर, बैरू के खसरा संख्या 1360 में उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आंवटन नीति–2015 के तहत् 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवटित की जावें। | उपायुक्त जोन –5 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

**प्रस्ताव संख्या 10 :: ग्राम नारवा खींचियान के खसरा संख्या 140 में रा.प्रा.वि. गोविन्दसागर नारवा हेतु भूमि आवंटन बाबत्।**

| क.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंशा/प्रस्ताव |
| --- | --- | --- |
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | ग्राम नारवा खींचियान के खसरा संख्या 140 में रा. प्रा.वि. गोविन्दसागर नारवा हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है। |

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम नारवा खींचियान के खसरा संख्या 140 में रा.प्रा.वि. गोविन्दसागर नारवा हेतु 1.08 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नारवा खिंचियान के खसरा संख्या 140 रकबा 2–08 बीघा किस्म–बारानी–II राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज हैं। प्रस्तावित स्थल को गुगल इमेज में मार्क कर संलग्न पत्रावली कर दिया है। मौके पर विद्यालय संचालित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्राधिकरण की राजस्व ग्राम नारवा खीचियांन के खसरा संख्या 140 में रा.प्रा.विद्यालय हेतु भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्रम में लेख है कि प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान अनुसार ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की किसी भी प्रस्तावित सड़क से प्रभावित नहीं है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार व नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 अनुसार प्रस्तावित भूमि पर रा.प्रा.विद्यालय निर्माण अनुज्ञेय उपयोग है, अतः प्रकरण में प्रस्तावित भूमि तक न्यूनतम पहुँच मार्ग 60 फीट की सुनिश्चितता करते हुये भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावें।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार तहसील जोधपुर के राजस्व ग्राम नारवा खिंचियान के खसरा संख्या 140 रकबा 02.08 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं हैं।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नारवा खिंचियान के खसरा संख्या 140 के संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार रा.प्रा.वि. हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षैत्रफल 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।



Scanned with OKEN Scanner

नारवा खींचियान के खसरा संख्या 140 में किस्म – बारानी–II में रा.प्रा.वि. गोविन्द सागर हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत् प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

## निर्णय

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम नारवा खींचियान के खसरा संख्या 140 में रा.प्रा.वि. गोविन्दसागर नारवा हेतु 1.08 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|---|---|---|
| 01. | ग्राम नारवा खींचियान के खसरा संख्या 140 में रा.प्रा.वि. गोविन्दसागर नारवा हेतु भूमि आंवटन नीति–2015 के तहत् 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवटित की जावें। | उपायुक्त जोन –5 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

क्रमांक /बैठक/2024/45-50 दिनांकः– 6 FEB 2024

प्रतिलिपी वास्ते सचूनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4 उपायुक्त–जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6 ..............................................................................................................

(डॉ हरीतिमा )
सचिव



Scanned with OKEN Scanner

श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 05 फरवरी , 2024 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित भूमि निस्तारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

01. श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
02. डॉ हरीतिमा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
03. श्री श्रवण सिंह राजावत , उपायुक्त जोन–4 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
04. श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, उपायुक्त जोन –5 , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
05. श्री महेन्द्र चौधरी , निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
06. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
07. श्री महेन्द्रसिंह पंवार ,निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।



Scanned with OKEN Scanner